



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062024-254978  
CG-DL-E-27062024-254978

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325]  
No. 325]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 27, 2024/आषाढ 6, 1946  
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 27, 2024/ASHADHA 6, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2024

सं. 10/2024- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 348(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "सोडियम साइनाइड", (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 2837 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्षों में अधिसूचना फाइल संख्या 6/03/2023-डीजीटीआर, दिनांक 28 मार्च, 2024, जिसे दिनांक 28 मार्च, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि –

- (i) विषयगत माल का विषयगत देशों से भारत को निर्यात इसके सामान्य से कम मूल्य पर किया गया है;
- (ii) घरेलू उद्योग को विषयगत देशों से संबद्ध आयात के कारण सारवान क्षति हुई है;
- (iii) विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं के भारी आयात के कारण सारवान क्षति हुई है;

घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धाराओं (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद के अंतर्गत आती है; जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राशि के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क लगाती है; यथा:-

### सारणी

क्र.सं.	शीर्षक	माल का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क (\$/मीट्रिक टन)
1	2	3	4	5	6	7
1	2837*	सोडियम साइनाइड, चाहे उसका स्वरूप कुछ भी हो	चीन	चीन सहित कोई भी देश	हेबै चेंगक्सिन कं. लिमिटेड	286
2	-वही-	-वही-	चीन	चीन सहित कोई भी देश	उपरोक्त क्र.सं. (1) में उल्लिखित के अलावा कोई भी उत्पादक	554
3	-वही-	-वही-	चीन, यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया के अलावा कोई भी देशों	चीन	ऊपर क्र.सं. (1) में उल्लिखित के अलावा कोई भी उत्पादक	554
4	-वही-	-वही-	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई भी देश	लुसेबनी ज़ावोडी ट्रेस्लोव्का ए.एस. कोलिन	13
5	-वही-	-वही-	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई भी देश	उपर क्र.सं. (4) में उल्लिखित के अलावा कोई भी उत्पादक	230
6	-वही-	-वही-	चीन, यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया के अलावा कोई भी देश	यूरोपीय संघ	उपर क्र.सं. (4) में उल्लिखित के अलावा कोई भी उत्पादक	230
7	-वही-	-वही-	जापान	जापान सहित कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	447

8	-वही-	-वही-	चीन, यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया के अलावा कोई भी देशों	जापान	कोई भी उत्पादक	447
9	-वही-	-वही-	कोरिया जन.गण	कोरिया जन.गण. सहित कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	413
10	-वही-	-वही-	चीन, यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया के अलावा कोई भी देश	कोरिया जन.गण.	कोई भी उत्पादक	413

\* सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

2. इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपादन शुल्क इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें पूर्व में संशोधन नहीं होता है तो) तक की अवधि के लिए लगाया जाएगा और यह भारतीय मुद्रा में देय होगा।

**स्पष्टीकरण**—इस अधिसूचना के प्रयोजनों हेतु ऐसे प्रतिपादन शुल्क, की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई है और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/81/2024-टीओ(टीआरयू-1)-सीबीईसी]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th June, 2024

**No. 10/2024-Customs (ADD)**

**G.S.R. 348(E).**—Whereas in the matter of “Sodium Cyanide” (hereinafter referred to as the subject goods) falling under heading 2837 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR, European Union, Japan and Korea RP (hereinafter referred to as the subject countries), and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification F. No. 6/03/2023-DGTR, dated the 28<sup>th</sup> March, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 28<sup>th</sup> March, 2024, has come to the conclusion that,

- (i) the subject goods have been exported to India from the subject countries at dumped prices;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury on account of subject imports from subject countries;
- (iii) the material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject countries,

and has recommended imposition of an anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty calculated at the rate as specified in the corresponding entry in column (7), of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty (\$/Metric Tonne)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2837*	Sodium Cyanide, regardless of its form	China	Any country including China	Hebei Chengxin Co. Ltd.	286
2	-do-	-do-	China	Any country including China	Any producer other than mentioned in SN (1) above.	554
3	-do-	-do-	Any country other than China, EU, Japan and Korea	China	Any producer other than mentioned in SN (1) above.	554
4	-do-	-do-	European Union	Any country including European Union	Lučební závody Draslavka a.s. Kolín	13
5	-do-	-do-	European Union	Any country including European Union	Any producer other than mentioned in SN (4) above.	230
6	-do-	-do-	Any country other than China, EU, Japan and Korea	European Union	Any producer other than mentioned in SN (4) above.	230
7	-do-	-do-	Japan	Any country including Japan	Any producer	447
8	-do-	-do-	Any country other than China, EU, Japan and Korea	Japan	Any producer	447
9	-do-	-do-	Korea RP	Any country including Korea RP	Any producer	413
10	-do-	-do-	Any country other than China, EU, Japan and Korea	Korea RP	Any producer	413

\* The Customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette, and shall be payable in Indian currency.

**Explanation.**—For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F.No. CBIC- 190354/81/2024-TO(TRU-I)-CBEC]

NITISH KARNATAK, Under Secy.